

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 8288 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 8288 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत झिनखाल बंजरिया से कालर द्वारा ट्रैक्टर ट्राली और बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.नीरज पुत्र झिनक सा0 लगड़ाबार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 अजीत यादव, हो0गा0चा0 महेश्वर शुक्ला।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 355 वाहनों से 4,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 11.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 355 वाहनों से 4,59,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 11.10.2026

**थाना दुधारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नवजात की गला दबाकर हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 408/2026, धारा 103(1),352,351(3),333 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त रामअवध पुत्र इसरी निवासी डिघवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को डिघवा से मठिया जाने वाली रोड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 10.10.2026 को थाना दुधारा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के नवजात की गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 11.10.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री प्रमोद सिंह, का0 रंजन कुमार, का0 आदर्श श्रीवास्तव, म0का0 एकता सिंह।